

[सेवा में मृत्यु होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्ररूप]

सं

भारत सरकार

..... मंत्रालय

..... विभाग/कार्यालय

तारीख.....

सेवा ,

वेतन और लेखा अधिकारी/महालेखाकार
(आहरण और संवितरण अधिकारी के माध्यम से)

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी.....(पीआरएएन.....) के मामले - सेवा में मृत्यु होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दावे का प्रक्रमण।

महोदय,

* मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पदनाम),पीआरएएन.....की तारीखको मृत्यु हो गई। श्री/श्रीमती/कुमारी..... की मृत्यु सरकारी सेवा के कारण नहीं हुई है या सरकारी सेवा के कारण हुई है। श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प/केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 10 के अधीन चूक विकल्प के अनुसार, उनका परिवार केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 या केन्द्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अधीन हितलाभों का पात्र है। केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 या केन्द्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के अनुसरण में हितलाभों के संवितरण के लिए आगे की कार्रवाई तदनुसार की जा रही है। केन्द्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 20 के अनुसरण में, अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार के अंशदान तथा उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किए जाएंगे। शेष संचित पेंशन कॉर्पस पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन नामनिर्देशित व्यक्ति/व्यक्तियों को एकमुश्त में संदेय होगा। यदि ऐसा नामनिर्देशन नहीं किया गया है या किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, तो शेष संचित पेंशन कॉर्पस की राशि विधिक उत्तराधिकारी को संदेय होगी। सरकारी कर्मचारी/अभिदाता द्वारा प्ररूप-1 में प्रयोग किए गए विकल्प की प्रति संलग्न है।

या

* मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पदनाम),पीआरएएन.....की तारीखको मृत्यु हो गई। श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प/केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम 20 के संदर्भ में और नियम 10 के अधीन चूक विकल्प के अनुसार, उनका परिवार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकासी और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों का पात्र है। अभिदाता द्वारा प्ररूप-1 में प्रयोग किए गए विकल्प की प्रति संलग्न है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दस्तावेज (भौतिक रूप या ऑनलाइन जमा किए गए प्ररूप के प्रिंटआउट) कुटुम्ब के पात्र सदस्य द्वारा यथाप्रस्तुत संलग्न हैं:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

2. यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत फायदे जारी करने के लिए अभिदाता के मामले पर, उसके द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

भवदीय

कार्यालय अध्यक्ष

* लागू नहीं होने पर काट दें।

[Form of letter to the Accounts Officer forwarding the withdrawal papers of a Subscriber under the National Pension System on death in service]

No
Government of India
Ministry / Department/Office of

Dated the

To,

The Pay and Accounts Officer/Accountant-General
(Through - the Drawing and Disbursing Officer).

Sub: Processing of claim for benefits under the National Pension System on death in service- case of Shri /Smt.
/Km..... (PRAN

Sir,

* I am directed to say that Shri/Smt./Km.....(name and designation), PRAN..... of this Ministry or Department or office died on The death of Shri/Smt./Km..... is not attributable to Government service or attributable to Government service. As per the option exercised by Shri/Smt./Km....., default option under rule 10 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, his family is eligible for benefits under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1939. Further action for disbursement of benefits to the family in accordance with the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1939 is being taken accordingly. In accordance with rule 20 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the Subscriber shall be transferred to Government account. The remaining accumulated pension corpus shall be paid in lump sum to the person(s) in whose favour a nomination has been made under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015. If there is no such nomination or if the nomination made does not subsist, the amount of remaining accumulated pension corpus shall be paid to the legal heir(s). A copy of the option exercised by the Government servant / Subscriber in Form -1 is enclosed.

OR

* I am directed to say that Shri/Smt./Km.....(name and designation), PRAN..... of this Ministry or Department or office died on As per the option exercised by Shri/Smt./Km....., default option under rule 10 and in terms of rule 20 of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, his family is eligible for benefits under the National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015. A copy of the option exercised by the Subscriber in Form -1 is enclosed. The following documents (in physical form or print-out of forms submitted online) specified by the Pension Fund Regulatory and Development Authority for release of terminal benefits under the National Pension System, as submitted by the eligible member of the family are enclosed:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

2. It is requested that the case of the Subscriber for release of terminal benefits under the National Pension System may be processed in accordance with the option exercised by him or her and the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

Yours faithfully,

Head of Office

* Strike out if not applicable.